सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में रिट् याचिका संख्या 1884(एस0/एस0)/2005, धर्मनाथ मिश्र व अन्य बनाम उत्तरांचल सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुपालन में श्री मोहम्मद अली, नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट तथा श्री धर्मनाथ मिश्र, लैब तकनीशियन का विकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश आवंटन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट् याचिका संख्या 1884(एस0/एस0)/2005, धर्मनाथ मिश्र व अन्य बनाम उत्तरांचल सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुपालन में श्री मोहम्मद अली, नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट तथा श्री धर्मनाथ मिश्र, लैब तकनीशियन का विकल्प के आधार पर राज्य आवंटन हेतु परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन दोनो कार्मिकों की तैनाती उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है तथा यह कार्मिक क्रमानुसार वर्ष 2006 तथा 2009 से उसी राज्य में कार्यरत हैं । अतः माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन सज्ञान में लेते हुए याची द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका वापस लिये जाने की कार्यवाही के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
Receipt & Issued Section
18 DEC
जारी किया/ISSUED